प्रेस नोट

दिनांक 23-11-2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व रूपये 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15-06-2022 को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में नाबालिग लडकी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना मनकापुर पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त अमित वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण-

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना को0 मनकापुर में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 अजय पटेल व थाना मनकापुर के पैरोकार हेड का0 बृजेश गुप्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 23-11-2026 को दोषी अभियुक्त अमित वर्मा को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्री निर्भय प्रकाश द्वारा दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 20,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. अमित वर्मा पुत्र शत्रोहन नि0 जिगना बाजार धोबहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0- 206/2022, धारा 344,363,366,376(3),506 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।